>

Title: Need to review tender process for awarding Government projects-Laid.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सम्पूर्ण के ध्यान मे है कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य यथा सड़क, बिजली, पानी, तालाब, नहर, शिक्षा, चिकित्सा टेंडर द्वारा होते है । विभाग या शासन द्वारा बनायी गई लागत मूल्य से अत्यधिक कम दर (35% तक) पर करना स्वीकार करते हैं एवं शासन / विभाग को सबसे कम दर के सफल निर्माणकर्ता को कार्य करने की अनुमति देनी पड़ती है । अत्यधिक दर कम होने से सफल टेंडर लेने वाली फर्म या व्यक्ति द्वारा समय सीमा मे या तो कार्य नहीं होता या काम गुणवत्ता का नहीं होता है या कई बार नुकसान होने के कारण टेंडर प्राप्तकर्ता कार्य छोड़ देता है या विभाग द्वारा कार्य ठीक न होने, समय पर न करने आदि कारणों से निरस्त करना पड़ता है । इससे जहां कार्य प्रभावित होता है वहीं जनता को अधूरे निर्माण कार्य से तकलीफ होती है । रेटेंडर करने मे समय ज्यादा लगता है, लागत व्यय बढ़ जाती है जिससे शासन का नुकसान होता है एवं इसका दुष्परिणाम जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है ।

जो डी पी आर बनती है या तो वह त्रुटिपूर्ण है या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते कम दर पर टेंडर डालने से है । यदि एस प्रक्रिया पर कोई राईडर लगे या डी पी आर एवं कम दर के अंतर की राशि टेंडर प्राप्तकर्ता से जमा करायी जाए एवं कार्य पूर्ण हो जाए तभी उसकी राशि लौटायी जाए या उस राशि से अपूर्ण कार्य को पूरा किया जाए ।